



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय
पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर - 302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone - 0141-2989581 E-Mail : rd-rajasthan@esic.gov.in
Website : www.esic.gov.in / www.esic.in

क्रमांक : A-12023/1/2024-ADMN.(i)

दिनांक -23-12-2025

वर्ष 2025 के कार्यालय आदेश संख्या 187 (ई.)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2025 का कार्यालय आदेश संख्या 166 दिनांक 07.11.2025 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके रिक्ति वर्ष के विरुद्ध नियमित आधार पर सहायक के पद पर पदोन्नति के आदेश प्रदान किए हैं। संबंधित रिक्ति वर्षों के लिए उनकी योग्यता के क्रम में चयन सूची निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद	तैनाती स्थान	रिक्त वर्ष जिसके विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की गयी
1.	174188	Gaurav Sharma	UDC	RO- Jaipur	2023
2.	181799	Rohit Gupta	UDC	SRO Udaipur	2025

क्रम संख्या 1 पर वर्णित कर्मचारी की पदोन्नति Notional आधार पर दिनांक 07.11.2025 से प्रभावी होगी परंतु उनको सहायक पद का वेतन उनके सहायक पद पर वास्तविक आधार पर कार्यभार ग्रहण करने से देय होगा।

क्रम संख्या 2 पर वर्णित कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 166 दिनांक 07.11.2025 के संदर्भ दिनांक 07.11.2025 को सहायक (नियमित) पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। जिनको रिक्ति वर्ष 2023 के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की गयी थी को इस कार्यालय आदेश के तहत रिक्ति वर्ष 2025 के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त पदोन्नति आदेश वरिष्ठता/पात्रता आदि के मामले में न्यायालय/Central Administrative Tribunal मामले, यदि कोई हो, के अधीन भी है।

वर्तमान में कर्मचारियों की तैनाती के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में उन्हें राजस्थान क्षेत्र में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

उक्त वर्णित कार्मिकों की नियमित पदोन्नति, पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रभावी होगी। नियमित पदोन्नति पर कार्मिकों का वेतन एफआर 22(I)(a)(1) के प्रावधानों के अनुसार लेवल-6 (35400-

112400) में निधारेत किया जाएगा। जिन कामकाज को नियमित पदोन्नति का आदेश दिया गया है वे यदि चाहें तो पदोन्नति पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर, मूल नियम 22(1)(ए)1 पैरा 2 के अनुसार, अपनी अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं।

उक्त कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम(कर्मचारी वृंद एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2023 एवं यथा संशोधित नियमों के अनुसार शासित होगी।

उक्त सभी कर्मचारियों को प्रधान लिपिक/सहायक संवर्ग में नियमित पदोन्नति पर वरिष्ठता का निर्धारण रोट्टा कोटा नियमों के अंतर्गत किया जाएगा।

उक्त वर्णित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना दिनांक 29.12.2025 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

जिन पदोन्नतियों को डीपीसी के साथ-साथ LDCE के माध्यम से सहायक/प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया है, उनके पास पदोन्नति के किसी भी तरीके से पदोन्नति स्वीकार करने का विकल्प है और एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।

यद्यपि उपरोक्त परिणाम तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, सक्षम प्राधिकारी को बाद में किसी भी त्रुटि/चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

ज्वर्निंग रिपोर्ट की प्रति प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

Digitally signed by
"GAJENDRA SINGH"

Date: 23-12-2025

18:01:55 (गजेंद्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी
2. महानिदेशक (परीक्षा), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली
3. महानिदेशक (ई-II), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली
4. आंचलिक बीमा आयुक्त / आंचलिक चिकित्सा आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर/जोधपुर/उदयपुर
6. समस्त डीन/चिकित्सा अधीक्षक, क. रा. बी. नि. मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, राजस्थान क्षेत्र
7. सभी शाखाधिकारी/शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
8. समस्त चिकित्सा अधिकारी(प्रभारी), डीसीबीओ, राजस्थान क्षेत्र
9. सभी शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, राजस्थान क्षेत्र

10. निजी सचिव कक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
11. सचिव, एसिक स्टाफ यूनियन, राजस्थान क्षेत्र, जयपुर
12. सचिव, एसिक को-ऑपरेटिव सोसायटी, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
13. सुरक्षा पंजिका / नोटिस बोर्ड ।